प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**....(थाना) ...**प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) .... 173/2023 (दिनांक) 4/7/2023

2 I (अधिनियम)....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) ......(धाराए)...........**7,7ए**.......
II (अधिनियम).. (धाराए) ....
III (अधिनियम) .... (धाराए) ....
IV (अन्य अधिनियम एवं धाराए) 120 बी भा0द0स0..

3. (क) (दिन).........**सोमवार**...... (दिनांक.........**03.07.2023**.....(दिनांक तक)..................................
(ख) (पहर) ....(बजे से)............................ (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) ....(समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) ......602.....(समय) ...... 7:25 P.M.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक)........................**लिखित रिपोर्ट** ....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी)....**बजानिव दिशा उत्तर , दूरी करीब 40 कि.मी.**...
(ख) (पता)................. **तहसील कार्यालय मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर**.............
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....**(जिला)** ....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) ....**श्री इरशाद खान** ....
(ख) (पिता/पति का नाम)..... **अशफाक खान** ....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष)...........**32 वर्ष**.........(घ) (राष्ट्रीयता)..................**भारतीय**..............................
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) ....
(छ) (पता).. निवासी बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर 7.

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

1– विमल कुमार अग्रवाल पुत्र मन्नू लाल अग्रवाल जाति महाजन उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 33, धनवन्तरी नगर, नहर रोड गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर हाल गिरदावर तहसील कार्यालय तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

2– रामप्रसाद पुत्र सुखलाल जाति बैरवा उम्र 55 वर्ष, निवासी गांव देवता, पुलिस थाना व तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मलारना डूंगर अतिरिक्त चार्ज बहतेड, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

3– मोहम्मद सईद खां पुत्र अब्दुल शाहिद खां जाति मुसलमान उम्र 47 वर्ष, निवासी मलारना डूंगर, पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल प्राईवेट ड्राईवर तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....
9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
मांगी गई रिश्वती राशि 17,000/—रुपये।
10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसीबी सवाई माधोपुर। विषयः— रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडावने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है मैं इरशाद खान पुत्र अशफाक खान जाति मुसलमान बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मैने व मेरे गांव के रईस बैग ने वर्ष 2023 में नेशनल हाइवे 01 पर गांव बहतेड के पास

कानजी पुत्र गंगासहाय कोली की खसरा नम्बर 3621/3615 रकबा 0.1043 किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ गैर.मु. आबादी कन्वर्जनशुदा जमीन खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री मैने व मेरे पार्टनर रईस बैग ने उप पंजीयक मलारना डूंगर सवाई माधोपुर में दिनांक 14.02.2023 को करवायी थी। हमने उक्त खेत का सीमाज्ञान करवाने के लिये तहसील मलारना डूंगर में मार्च 2023 में आवेदन किया था। सीमाज्ञान करवाने के लिये मैं तहसीदार घसीण्डयाराम, गिरदावर विमलचन्द, पटवारी पटवार हल्का रामप्रसाद बैरवा व तहसीदार के ड्राईवर सईद से बार बार मिला तो उक्त सभी ने सीमाज्ञान के बदले मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। सईद तहसीदार के ड्राईवरी व दलाली का कार्य करता है। तहसीलदार साहब मेरे से सईद दलाल के मार्फत बीस हजार रूपये की मांग कर रहा है एवं गिरदावर विमलचन्द व पटवारी रामप्रसाद भी मेरे से दस–दस हजार की मांग कर रहे है। मैं इन सभी को मेरे जायज काम के लिये रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ, बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इनसे मेरा कोई पुराना लेन–देन व रंजिश नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। प्रार्थी इरसाद खान पुत्र अशफाक खान, जाति मुसलमान (खेलदार), उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 28.06.2023 को समय 01:30 पी.एम. पर परिवादी इरशाद खान पुत्र अशफाक खान जाति मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, निवासी बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड के मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को इस आशय की पेश की कि मैने व मेरे गांव के रईस बैग ने वर्ष 2023 में नेशनल हाइवे 01 पर गांव बहतेड के पास कानजी पुत्र गंगासहाय कोली की खसरा नम्बर 3621/3615 रकबा 0.1043 किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ गैर.मु. आबादी कन्वर्जनशुदा जमीन खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री मैने व मेरे पार्टनर रईस बैग ने उप पंजीयक मलारना डूंगर सवाई माधोपुर में दिनांक 14.02.2023 को करवायी थी। हमने उक्त खेत का सीमाज्ञान करवाने के लिये तहसील मलारना डूंगर में मार्च 2023 में आवेदन किया था। सीमाज्ञान करवाने के लिये मैं तहसीलदार घसीण्डयाराम, गिरदावर विमलचन्द, पटवारी पटवार हल्का रामप्रसाद बैरवा व तहसीलदार के ड्राईवर सईद से बार बार मिला तो उक्त सभी ने सीमाज्ञान के बदले मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। सईद तहसीलदार के ड्राईवरी व दलाली का कार्य करता है। तहसीलदार साहब मेरे से सईद दलाल के मार्फत बीस हजार रूपये की मांग कर रहा है एवं गिरदावर विमलचन्द व पटवारी रामप्रसाद भी मेरे से दस–दस हजार की मांग कर रहे है। मैं इन सभी को मेरे जायज काम के लिये रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ, बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इनसे मेरा कोई पुराना लेन–देन व रंजिश नही है। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी इरशाद खान से पूछताछ की गई तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होनी व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया गया एवं परिवादी ने मजिद दरयाप्त पर बताया की उक्त जमीन का सीमाज्ञान के साथ साथ मैने तहसील कार्यालय मलारना डूंगर में मेरे व मेरे पार्टनर के नाम नामान्तरण खोलने के लिये भी आवेदन कर रखा है। आरोपीगण सीमाज्ञान करने व नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर वक्त करीब 02:30 पी.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि. को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय कक्ष में बुलवाकर परिवादी इरशाद खान से परिचय तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के बारे में अवगत करवाकर विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री इरशाद खान को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर को श्री मनोज कुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। इसके पश्चात समय 03:00 पी.एम परिवादी श्री इरशाद खान एवं श्री मनोज कुमार कानि. को बाद हिदायत आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मलारना डूंगर के लिए रवाना किया गया। जो समय 07.30 पी.एम पर श्री मनोज कुमार कानि. व परिवादी इरशाद खान उपस्थित कार्यालय आये और परिवादी श्री इरशाद खान ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया की मैं व मनोज कुमार कानि कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय मलारना डूंगर पहुंचे। जहां मनोज कुमार कानि. ने एकान्त में मुझे वाईस रिकार्डर सिपुर्द कर अपना परिचय देकर आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तहसील मलारना डूंगर रवाना कर दिया। इसके पश्चात मैं वहां से रवाना होकर तहसील मलारना डूंगर पहुंचा, जहां पर मुझे तहसीलदार साहब घसीडयाराम व उनका ड्राईवर सईद खान मिले, जहां मैने उनसे मेरे कार्य से संबंधित वार्ता की तो तहसीदार जी के सामने सईद ने

कहा की आदेश तो हो जायेंगे, आप चलो, इसके बाद मैं थोडी देर बाद सईद मेरे पास आया और कहा की मैं तहसीदार साहब से पूछकर बता दूंगा। फिर मैं नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश व गिरदावर विमलचन्द के पास गया एवं मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो नायब तहसीदार व गिरदावर के सामने एक अन्य पटवारी जिसका मैं नाम नही जानता उसने मेरे कहा की तू तो नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी को पांच–पांच हजार रूपये कुल पन्द्रह हजार रूपये दे देना, मैने गिरदावर विमलचन्द को दो हजार रूपये दिये, जिसको उक्त अन्य पटवारी ने अपने हाथों से गिनकर गिरदावर विमलचन्द को दिये थे। उन्होने मेरे से शेष रिश्वत राशि सोमवार को देने की कही थी। रामप्रसाद पटवारी तहसील कार्यालय में मौजूद नही होने से मैं उनके पास से रवाना होकर मनोज जी के पास आ गया जिन्होने रिकार्डर बन्द करके अपने पास रख लिया, थोडी देर बाद रामप्रसाद पटवारी तहसील में आने पर मनोज कुमार कानि. ने रिकार्डर चालू कर मुझे दे दिया, जिस पर मैं वहां से रवाना होकर तहसील कार्यालय चला गया था, जहां पर मैने रामप्रसाद पटवारी से मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने दस हजार रूपये मांगे तथा मेरे निवेदन करने पर पांच हजार रूपये पर सहमत हो गया, जिसको मैने वहीं पर तीन हजार रूपये गिनकर दे दिये तथा शेष दो हजार रूपये सोमवार को देने की कही थी, फिर मैं वहां से रवाना होकर तहसीलदार साहब के ड्राईवर सईद के पास गया तो सईद ने मेरे से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बीस हजार रूपये की मांग की तथा मेने कहा की तू तहसीलदार जी से दस हजार रूपये में मेरा काम करवा देना, इसके पश्चात मैं वहां से रवाना होकर मनोज कुमार कानि. के पास आ गया तथा उपरोक्त वार्ता के बारे में उन्हे बताया, जिन्होने मेरे से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया, हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। परिवादी के कथनों की मनोज कुमार कानि. से पूछने पर कानि. ने उक्त कथनों की ताईद की। इसके पश्चात विभागीय वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुने जाकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया की सोमवार दिनांक 03.07.2023 को आरोपीगण रामप्रसाद पटवारी को दो हजार, गिरदावर विमलचन्द को तीन हजार, नायब तहसीदार को पांच हजार एवं तहसीदार के ड्राईवर सईद/तहसीलदार को दस हजार रूपये कुल बीस हजार रिश्वत के देने है।इस पर समय 08:00 पी.एम. पर परिवादी श्री इरशाद खान को दिनांक 03.07.2023 को समय 09.00 ए.एम पर रिश्वती राशि बीस हजार रूपये हमराह साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.07.2023 समय 10:00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर अधिशाषी अभियन्ता, जलदाय विभाग सवाई माधोपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री रमेश कानि. नं. 469 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाकर हमराह साथ लाने हेतु रवाना किया गया तथा समय 10:15 ए.एम. परिवादी इरशाद खान पुत्र अशफाक खान जाति मुसलमान, उम्र 32 वर्ष निवासी बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर मय रिश्वति राशि 20,000/– रूपये के उपस्थित कार्यालय आया, जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। श्री रमेश कुमार कानि समय 10:35 ए.एम.पर जलदाय विभाग सवाई माधोपुर से अपने साथ दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर आया जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना पता क्रमशः जीतू सैनी पुत्र स्व. श्री सोहनलाल सैनी, जाति माली, उम्र 38 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 13, किशनपुरा ढाणी, विज्ञान नगर, रणथम्बोर रोड, सवाई माधोपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. डिविजन सवाई माधोपुर एवं हिमान्शु जैन पुत्र स्व. श्री अनिल कुमार जैन, जाति जैन, उम्र 35 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 14, हम्मीर नगर, खैरदा, सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. डिविजन सवाई माधोपुर होना बताया तथा पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी इरशाद खान से आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट को पढकर उस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकलवाकर रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 28.06.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी इरशाद खान एवं आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता के मुख्य अंश स्वतंत्र गवाहान को परिवादी की मौजूदगी में सुनाया गया एवं अब तक की ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की समय अभाव के कारण फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं डब पेन ड्राईव, डी.वी.डी. तैयार नही की गई। इसके पश्चात समय 11:00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी इरशाद खान ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,00–5,00 के चालीस नोट अर्थात कुल 20,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 UD 573050
2.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 NV 822163
3.	एक नोट 500 रूपये का	3 MU 817896
4.	एक नोट 500 रूपये का	7 KK 162850
5.	एक नोट 500 रूपये का	6 GE 570601
6.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098155
7.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 DS 855359
8.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 RA 113030
9.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 MD 197384
10.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 BK 723792
11.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098157
12.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098158
13.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 KD 119542
14.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 UF 111801
15.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 AL 902542
16.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 MN 104559
17.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098160
18.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 HL 116017
19.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 KK 573962
20.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 MU 035819
21.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 ET 525728
22.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 AE 045133
23.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 MF 622109
24.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 GG 572019
25.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 GB 490843
26.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 CB 218190
27.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 BN 676927
28.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 LK 189848
29.	एक नोट 5,00 रूपये का	8TT 068462
30.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 AE 650102
31.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 KD 486968
32.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 SC 435186
33.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 DW 190242
34.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 LF 264276
35.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 VU 224961
36.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 VU 224544
37.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 TG 509978
38.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 GA 527060
39.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 KL 536998
40.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098156

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री रामकेश कानि0 से मालखाने मे रखा फिनॉफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्री रामकेश कानि0 से एक अखबार के उपर फिनॉफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 20,000/--रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री इरशाद खान की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जीतू सैनी, से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये परिधान तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री रामकेश कानि0 से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये 20,000/–रूपयो को परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही उक्त राशि मे से क्रम संख्या 01 लगायत 04 पर अंकित नोट आरोपी रामप्रसाद पटवारी को व क्रम संख्या 05 लगायत 10 पर अंकित नोट आरोपी गिरदावर विमलचन्द एवं क्रम संख्या 11 लगायत 30 पर अंकित नोट आरोपी सईद खान ड्राईवर/ घसीडयाराम तहसीलदार को देने के लिये एवं क्रम संख्या 31 लगायत 40 पर अंकित नोट नायब तहसीलदार/अन्य पटवारी को देने हेतु पृथक–पृथक गडडी बनाकर निकालकर देवे तथा आरोपीगण रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपीगण के बीच होने वाले रिश्वत के लेन--देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री हिमांशु जैन से एक कांच के मग को साबुन पानी से साफ करवाकर उक्त मग में साफ पानी भरवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त स्वतंत्र गवाह हिमांशु जैन से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त मग के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मग के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो मग के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और रामकेश कानि. से फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाकर मालखाने में रखवाया गया तथा गवाह हिमांशु से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि0 से गिलास के धोवन को कार्यालय परिसर के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री रामकेश कानि0 के दोनो हाथों एवं मग को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इरशाद खान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद परिवादी श्री इरशाद खान को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11:50 ए.एम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री जीतू सैनी व श्री रमेश कुमार कानि मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप वॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण सहित एवं श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हिमांशु जैन व श्री हम्मीर सिंह कानि, राजवीर सिंह कानि मय प्राईवेट वाहन व परिवादी इरशाद खान व मनोज कुमार कानि मय परिवादी की निजि मोटरसाईकिल से एवं श्री जुगलाल कानि व भोलाराम कानि मय जुगलाल कानि. की मोटरसाईकिल से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु मलारना डूंगर के लिए रवाना हुआ तथा नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी के समय 01:00 पी.एम. पर मलारना डूंगर तहसील कार्यालय के पास पहुंचा। जहां परिवादी इरशाद खान ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की मैने मेरे स्तर से जानकारी की तो पता चला की आज नायब तहसीलदार व दिनांक 28.06.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जिस अन्य पटवारी ने मेरे से नायब तहसीलदार, गिरदावर, रामप्रसाद पटवारी के लिये रिश्वत की पांच–पांच हजार रूपये कुल पन्द्रह हजार की बात कही थी, वह पटवारी आज तहसील में नही आये है। इस पर परिवादी इरशाद

खान को तहसील कार्यालय मलारना डूंगर में आरोपीगण घसीडयाराम तहसीलदार, तहसीलदार का ड्राईवर सईद, विमलचन्द गिरदावर व रामप्रसाद पटवारी के पास रिश्वत लेन–देन के वाईस रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर रवाना किया गया तथा परिवादी के पीछे पीछे मनोज कुमार कानि को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के तहसील कार्यालय के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के नियत ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 01:26 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री इरशाद खान ने भू–अभिलेख कार्यालय मलारना डूंगर से रिश्वत स्वीकृति के बारे में मुकर्रर ईशारे किया, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत कराते हुये परिवादी इरशाद खान के पास भू–अभिलेख कार्यालय के गेट पर पहुंचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी इरशाद खान ने पूछने पर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पटवारी रामप्रसाद के पास तहसील कार्यालय मलारना डूंगर पहुंचा, जहां पर मुझे रामप्रसाद पटवारी मिला तो मैने रामप्रसाद पटवारी से कहा की गिरदावर साहब विमलचन्द जी उनके कार्यालय में बुला रहे है। इस पर मै व रामप्रसाद पटवारी रवाना होकर गिरदावर साहब के ऑफिस भू–अभिलेख कार्यालय पहुंचे, जहां पर गिरदावर विमलचन्द जी मिले। विमलचन्द जी ने ईशारे से मेरे से मांगकर तीन हजार रूपये अपने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये। इसके पश्चात रामप्रसाद पटवारी ने ईशारे से मेरे से दो हजार रूपये मांगकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी में रख लिये। इसके पश्चात मैं भू–अभिलेख कार्यालय से बाहर आकर आपको ईशारा कर दिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व हमराहीयान को साथ लेकर भू–अभिलेख कार्यालय के अन्दर पहुंचा, जहां पर एक कक्ष में बैठे हुये दो व्यक्तियों की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की यही गिरदावर विमलचन्द व पटवारी रामप्रसाद है जिन्होने मेरे से अभी–अभी रिश्वत के पृथक–पृथक तीन हजार व दो हजार रूपये लिये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उक्त व्यक्तियो के पास पहुंचा तथा उक्त व्यक्तियों को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त का परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः विमल कुमार अग्रवाल गिरदावर तहसील कार्यालय मलारना डूंगर व रामप्रसाद पटवारी पटवार हल्का. मलारना डूंगर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का बहतेड तहसील मलारना डूंगर होना बताया। इस पर उक्त दोनो को डिटेन कर स्वतंत्र गवाह जीतू सैनी से अभियुक्त विमल कुमार अग्रवाल गिरदावर की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब की तलाशी लिवायी गयी तो उसमें पांच–पांच सो रूपये के छः नोट मिले, जिन्हे कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो फर्द पेशकशी में अंकित नोट क्रम संख्या 05 से 10 तक होना पाये गये, जिन्हे स्वतंत्र गवाह जीतू सैनी के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात गवाह जीतू सैनी के दोनो हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये एवं गवाह जीतू सैनी से अभियुक्त रामप्रसाद पटवारी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जैब की तलाशी लिवायी गयी तो रामप्रसाद पटवारी की शर्ट की जैब में पांच–पांच सौ रूपये के चार नोट अर्थात कुल दो हजार रूपये मिले, जिनका कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो उक्त नोट फर्द पेशकशी में अंकित नोट क्रम संख्या 01 से 04 तक होना पाये गये, उक्त नोटो को भी स्वतंत्र गवाह जीतू सैनी के पास सुरक्षित रखवाये। उक्त गवाह जीतू सैनी के दोनो हाथ पुनः साबुन पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात उक्त दोनो अभियुक्त विमलचन्द गिरदावर व रामप्रसाद पटवारी को डिटेन कर श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक व राजवीर सिंह कानि व संजय कुमार कानि0 की निगरानी में भू–अभिलेख कक्ष में बिठाकर आवश्यक हिदायत दी गई। इसी दौरान परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मेरी तहसीलदार के ड्राईवर सईद से फोन पर बात हुई है, वो तहसील में आ गया है और मुझे बुला रहा है। इसके पश्चात परिवादी इरशाद खान को पुनः वाईस रिकार्डर चालू कर शेष आरोपीगण से रिश्वत लेन–देन हेतु तहसील कार्यालय मलारना डूंगर रवाना किया तथा परिवादी के पीछे–पीछे श्री मनोज कुमार कानि को रवाना किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के तहसील के आस–पास परिवादी के नियत ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। वक्त करीब 01.42 पी. एम पर परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का मुर्करर ईशारा किया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के रवाना होकर तहसील कार्यालय मलारना डूंगर के कक्ष के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी इरशाद खान मौजूद मिला, जिससे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा पूछने पर परिवादी ने बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील के गेट के पास पहुंचा तो तहसीदार साहब का ड्राईवर सईद मौजूद मिला, जिसने मेरे से मांगकर स्वंय के लिये दो हजार रूपये लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये और कहा की तहसीलदार जी के भी मुझे दे दे। इस पर मैने कहा की मै तहसीदारजी के सामने ही दूंगा। इस पर मैं व सईद तहसीदार जी के चैम्बर में अन्दर चले गये। घसीडयाराम तहसीलदार जी चैम्बर के अन्दर बैठे हुये

थे, जहां पर मैने तहसीदार जी के सामने सईद ड्राईवर को दस हजार रूपये रिश्वत के दे दिये। सईद ड्राईवर ने मेरे से रिश्वत लेकर गिनकर दस हजार रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रख लिये। मैने सईद के सामने तहसीलदारजी को बता दिया की मैने आपकी सेवा पानी सईद को कर दिये है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के तहसीलदार के कक्ष में पहुंचे। जहां पर दो व्यक्ति बैठे हुये थे, जिन्हे देखकर परिवादी इरशाद खान ने ईशारा कर बताया की जो सामने की कुर्सी पर बैठा है वह घसीडयाराम तहसीलदार व तहसीदार की साईड की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति तहसीलदार का ड्राईवर सईद है। इस पर उक्त दोनो व्यक्तियो को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः घसीडयाराम तहसीलदार व मोहम्मद सईद खान तहसीलदार का प्राईवेट ड्राईवर होना बताया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री हिमांशु जैन से ड्राईवर मोहम्मद सईद की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब एवं पीछे की दांयी जेब की तलाशी लिवायी गयी तो सामने की बांयी जेब में पांच–पांच सो रूपये के चार नोट अर्थात कुल दो हजार रूपये एवं पीछे की दांयी जेब में पांच–पांच सौ रूपये के बीस नोट अर्थात कुल दस हजार रूपये मिले उक्त कुल 12,000/– रूपये की राशि का मिलान स्वतंत्र गवाहान से करवाया तो कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नोट क्रम संख्या 11 से 34 होना पाये गये। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री हिमांशु जैन के पास सुरक्षित रखवाये गये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक को मय हमराहीयान मय डिटेनशुदा अभियुक्तो को तलब कर तहसीलदार के चैम्बर में बुलवाया गया। जो कुछ समय पश्चात ही तहसीलदार के चैम्बर में आ गये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा विमलचन्द कुमार अग्रवाल, गिरदावर को तसल्लीदेकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विमल कुमार अग्रवाल पुत्र मन्नू लाल अग्रवाल जाति महाजन उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 33, धनवन्तरी नगर, नहर रोड गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर हाल गिरदावर तहसील कार्यालय तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इसके पश्चात आरोपी विमल कुमार अग्रवाल गिरदावर से परिवादी से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी विमल कुमार ने बताया की मैने गत वर्ष इरसाद की जमीन का इन्तकाल खोलने की एवज में यह मिठाई खिलाने की बात करता था। इरसाद दिनांक 28.07.2023 को एलआर सैक्शन में आया था और इरसाद ने प्रेमराज पटवारी को दो हजार रूपये दिये थे जो प्रेमराज ने गिनकर मुझे दे दिये थे। इस पर पास ही खडे परिवादी इरशाद खान ने आरोपी विमल कुमार अग्रवाल की बातो का खण्डन करते हुये कहा की गिरदावर जी ने मेरे सीमाज्ञान करने की एवज में दस हजार रूपये मांग रहे थे, जिस पर मेरे द्वारा कम की कहने पर पांच हजार रूपये में तय हुआ था। जिस पर मैने दिनांक 28.06.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दो हजार रूपये दिये थे और आज दिनांक 03.07.2023 को इन्होने मेरे से शेष तीन हजार रूपये ईशारे से मांग कर लिये है। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप बोक्स में से दो कांच के मग निकलवाकर उनको रमेश कुमार कानि0 से तहसीलदार के चैम्बर में बने बाथरूम में से साफ पानी मंगवाकर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त कानि0 से दोनो दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग–अलग दूरी पर रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त कानि0 से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से दोनो मगो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी विमल कुमार अग्रवाल के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क RH-1 व RH-2 व LH-1 व LH-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए. सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त कानि0 से दोनो मगो को साफ साबुन–पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात आरोपी विमल कुमार अग्रवाल की अपनी पहनी हुई शर्ट उतार कर पेश करने की कहा जिस पर उसने अपनी शर्ट उतार कर पेश की तथा आरोपी को एक टी–शर्ट मंगवाई जाकर पहनायी गयी तथा रमेश कुमार कानि से साफ पानी मंगवाकर एक मग में उक्त कानि0 से पानी मग में डलवाया गया व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच निकलवाकर मग में डलवा कर से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी विमल कुमार अग्रवाल की शर्ट की सामने की बांयी जैब को उलटवा कर उक्त कानि0 से धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क J-1 व J-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त कानि0 से दोनो मगो को साफ साबुन–पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रामप्रसाद, पटवारी को तसल्लीदेकर उसका नाम

पता पूछा तो उसने अपना नाम रामप्रसाद पुत्र सुखलाल जाति बैरवा उम्र 55 वर्ष, निवासी गांव देवता, पुलिस थाना व तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मलारना डूंगर अतिरिक्त चार्ज बहतेड, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इसके पश्चात आरोपी रामप्रसाद पटवारी से परिवादी से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी रामप्रसाद पटवारी ने बताया की मैने इरशाद से कोई पैसे की मांग नही करी और नाही मैने इससे पैसे लिये, इरशाद ने जबरदस्ती मेरी जेब में पैसे रख दिये। इस पर पास ही खडे परिवादी इरशाद खान ने आरोपी रामप्रसाद पटवारी की बातो का खण्डन करते हुये कहा की पटवारी जी के पास गांव बहतेड का अतिरिक्त चार्ज है इन्हाने मेरी खरीदी हुई जमीन का सीमाज्ञान करने की एवज में दस हजार रूपये मांग की थी। जिस पर मेरे द्वारा कम की कहने पर पांच हजार रूपये में तय हुआ था। जिस पर मेरे से दिनांक 28.06.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रामप्रसाद पटवारी ने मेरे मांग कर तीन हजार रूपये लिये थे तथा बाकी के शेष दो हजार रूपये सोमवार दिनांक 03.07.2023 को देने की कहा था। जिस पर आज दिनांक 03.07.2023 को इन्होने मेरे से शेष दो हजार रूपये मांग कर लिये है। इसके. पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दो कांच के मग निकलवाकर उनको रमेश कुमार कानि0 से तहसीलदार के चैम्बर में बने बाथरूम में से साफ पानी मंगवाकर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त कानि0 से दोनो दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग-अलग दूरी पर रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त कानि0 से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से दोनो मगो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी रामप्रसाद पटवारी के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का रंग भी हल्का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क RH-3 व RH-4 व LH-3 व LH-4 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त कानि0 से दोनो मगो को साफ साबुन-पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात आरोपी रामप्रसाद पटवारी की अपनी पहनी हुई शर्ट उतार कर पेश करने की कहा जिस पर उसने अपनी शर्ट उतार कर पेश की तथा आरोपी को एक टी-शर्ट मंगवाई जाकर पहनायी गयी तथा रमेश कुमार कानि से साफ पानी मंगवाकर एक मग में उक्त कानि0 से पानी मग में डलवाया गया व सोडियम कार्बोनेट पाउडर का एक चम्मच निकलवाकर मग में डलवा कर से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी रामप्रसाद पटवारी की शर्ट की सामने की बांयी जैब को उलटवा कर उक्त कानि0 से धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क J-3 व J-4 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त कानि0 से दोनो मगो को साफ साबुन-पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसीलदार घसीडयाराम के ड्राईवर मोहम्मद सईद को तसल्लीदेकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद सईद खां पुत्र अब्दुल शाहिद खां जाति मुसलमान उम्र 47 वर्ष, निवासी मलारना डूंगर, पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल प्राईवेट ड्राईवर तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इसके पश्चात आरोपी मोहम्मद सईद से परिवादी से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी मोहम्मद सईद ने बताया की मैं तहसीलदार की गाडी चलाता हूँ। आज मैं लॉगबुक भराने के लिये साहब ने डायरी मंगायी थी, जो मैं डायरी लेकर अन्दर बैठा हुआ था और इरशाद आया वही पे उसने बोला कि साहब के दस हजार रूपये ये साहब को दे देना, और फिर इरशाद ने साहब से बोला कि साहब मैने आपके पैसे दे दिये सईद भाई को और पटवारी से बोल दो ताकि क्या है वो मेरा सीमाज्ञान कर दे। तहसीलदार जी ने बोला कि मैने बोल दिया उनसे वो चले जावेंगे और फोन भी लगाया तहसीलदार जी ने पटवारी को जाने के लिये किन्तु पटवारी ने फोन नही उठाया। इसके बाद तहसीलदार को इरशाद ने कहा की मैं खुद जाके आ रहा हूँ। इरशाद ने मेरे से कहा कि मेरी बात हो गयी तहसीलदार से, मैने तहसीलदार साहब के लिये ही इरशाद से उनके सामने दस हजार रूपये लिये थे, तहसीलदार ने मेरे से दस हजार रूपये लेते समय मना नही की। उक्त वार्ता की मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री हम्मीर सिंह कानि. से आरोपी मोहम्मद सईद द्वारा किये गये कथनों की विडियो रिकार्डिग करवाई गई एवं हम्मीर सिंह कानि. को उक्त रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। इस पर पास ही खडे परिवादी इरशाद खान ने आरोपी मोहम्मद सईद की बातो का खण्डन करते हुये कहा की सईद तहसीलदार का ड्राईवर है एवं ड्राईवर के साथ-साथ यह तहसीलदार की दलाली का काम भी करता है एवं

दिनांक 28.06.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जब मैं तहसीलदार जी से मैं मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता कर रहा था तो सईद ने आगे से ही मेरे से कहा की तेरा काम हो जायेगा। इसके उसी दिन कुछ समय पश्चात मेरी सईद से मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता हुई तो सईद ने कहा की तहसीलदार जी बीस हजार की कह रहे है तो मैने सईद से कहा की यार ये तो बहुत ज्यादा हो जावेगे, मै दस हजार दे दूंगा दस में करवादे, तो सईद ने मेरे से सोमवार दिनांक 03.07.2023 को फोन करने की कहा था और आज मैं पटवारी रामप्रसाद व गिरदावर विमल कुमार अग्रवाल को रिश्वत राशि देने के बाद आपके निर्देशानुसार तहसील कार्यालय में आ रहा था तथा मेरे पीछे–पीछे मनोज कुमार कानि. भी आ रहा था तो सईद मुझे तहसील के मैन गेट पर ही मिल गया, जिसने मेरे से स्वंय के लिये दो हजार रूपये मांगे तो मैने नायब तहसीलदार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि में से पांच–पांच सो के चार नोट कुल दो हजार रूपये सईद को दिये थे, जिन्हे सईद ने लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रख लिये और सईद ने मेरे से कहा की तहसीलदार जी के भी मुझे दे दे। इस पर मैने कहा की मै तहसीलदार जी के सामने ही दूंगा। इस पर मैं व सईद तहसीलदार जी के चैम्बर में अन्दर चले गये। हमारे पीछे–पीछे मनोज कुमार कानि. भी तहसीलदार के चैम्बर के सामने आकर खडे हो गये। घसीडयाराम तहसीलदार जी चैम्बर के अन्दर बैठे हुये थे, जहां पर मैने तहसीदार जी के सामने सईद ड्राईवर को दस हजार रूपये रिश्वत के दे दिये। सईद ड्राईवर ने मेरे से रिश्वत लेकर गिनकर दस हजार रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रख लिये। मैने सईद के सामने तहसीलदारजी को बता दिया की मैने आपकी सेवा पानी सईद को कर दिये है। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दो कांच के मगो को रमेश कुमार कानि0 से तहसीलदार के चैम्बर में बने बाथरूम में से साफ पानी मंगवाकर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त कानि0 से दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग–अलग दूरी पर रखवाये जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे मे से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी मोहम्मद सईद के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क RH-5 व RH-6 व LH-5 व LH-6 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त कानि0 से दोनो मगो को साफ साबुन–पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात आरोपी मोहम्मद सईद की अपनी पहनी हुई पेन्ट उतार कर पेश करने की कहा जिस पर उसने अपनी पेन्ट उतार कर पेश की तथा आरोपी को एक लोअर मंगवाया जाकर पहनाया गया तथा रमेश कुमार कानि से साफ पानी मंगवाकर दोनो मगों में उक्त कानि0 से पानी मगों में डलवाया गया व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक–एक चम्मच निकलवाकर मगो में डलवा कर से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी मोहम्मद सईद की पेन्ट की सामने की बांयी जैब तथा पीछे दांयी जैब को उलटवा कर उक्त कानि0 से धुलवाई गई तो दोनो धोवनों का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क J-5 व J-6, J-7 व J-8 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त कानि0 से दोनो मगो को साफ साबुन–पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्च अधिकारीयों को ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में हालात निवेदन किये एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी इरशाद के समक्ष तहसीलदार घसीडयाराम को तसल्लीदेकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता घसीडयाराम पुत्र रामसहाय जाति बैरवा, उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम कुंजेला, तहसील नादोती जिला करौली, हाल तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसीलदार से रिश्वती राशि के सम्बन्ध में पूछा तो तहसीलदार ने कहा की मै अपना स्पष्टीकरण स्वंय हस्तलिखित देना चाहता हूँ। इस पर तहसीलदार ने अपना लिखित स्पष्टीकरण स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया एवं तहसीलदार घसीडयाराम द्वारा स्वंय हस्तलिखित स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में उच्च अधिकारीयों को अवगत कराया गया। इसके बाद आरोपी विमल कुमार अग्रवाल गिरदावर के पास से मिली रिश्वती राशि तीन हजार रूपये एवं आरोपी रामप्रसाद पटवारी के पास से मिली रिश्वती राशि दो हजार रूपये जो गवाह जीतु सैनी के पास सुरक्षित रखवायी गयी थी, कुल पांच हजार रूपये को तथा आरोपी मोहम्मद सईद के पास से मिली रिश्वती राशि दो हजार रूपये व दस हजार रूपये अर्थात कुल 12,000/– रूपये जो गवाह हिमांशु जैन के पास सुरक्षित रखवायी गयी थी को एक जगह एकत्रित करवाकर पुनः उक्त नोटो

को दोनो स्वतंत्र गवाहन कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो वही नम्बरी नोट पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 UD 573050
2.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 NV 822163
3.	एक नोट 500 रूपये का	3 MU 817896
4.	एक नोट 500 रूपये का	7 KK 162850
5.	एक नोट 500 रूपये का	6 GE 570601
6.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098155
7.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 DS 855359
8.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 RA 113030
9.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 MD 197384
10.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 BK 723792
11.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098157
12.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098158
13.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 KD 119542
14.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 UF 111801
15.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 AL 902542
16.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 MN 104559
17.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 NB 098160
18.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 HL 116017
19.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 KK 573962
20.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 MU 035819
21.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 ET 525728
22.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 AE 045133
23.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 MF 622109
24.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 GG 572019
25.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 GB 490843
26.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 CB 218190
27.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 BN 676927
28.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 LK 189848
29.	एक नोट 5,00 रूपये का	8TT 068462
30.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 AE 650102
31.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 KD 486968
32.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 SC 435186
33.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 DW 190242
34.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 LF 264276

उपरोक्त 17,000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद परिवादी इरशाद को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी इरशाद एवं आरोपीगण के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस

रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट ब्यूरो कार्यालय चौकी सवाईमाधोपुर पहुंच पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी एवं आरोपीगण से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय– 05:00 पी.एम.मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी इरशाद खान की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय– 05:30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराही श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिये गये की ट्रेप कार्यवाही में परिवादी से संबंधित रिकार्ड को जप्त कर पेश करें एवं चूंकि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि घसीडयाराम तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर विगत दिनों में ईद के त्योहार के कारण गांव नही गया इसके सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नगदी मिल सकती है, इस पर उच्च अधिकारीयों के निर्देशानुसार तहसीलदार के तहसील परिसर में सरकारी आवास की खाना तलाशी लेने हेतु विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया। **इसके बाद समय 05:45 पी.एम. पर आरोपीगण के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही तहसील कार्यालय मलारना डूंगर में होने के कारण स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। इस कारण आरोपीगण के रिहायसी मकानों की खाना तलाशी लेने का कोई औचित्य नही होने से खाना तलाशी नही ली गई।** तत्पश्चात समय 07:20 पी.एम. पर श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही में परिवादी के कार्य से संबंधित जप्त शुदा रिकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति मय फर्द जप्ती अभिलेख के एवं घसीडयाराम तहसीलदार के सरकारी आवास की ली गई खाना तलाशी की फर्द खाना तलाशी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की, जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 07:30 पी.एम पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी विमल कुमार अग्रवाल पुत्र मन्नू लाल अग्रवाल जाति महाजन उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 33, धनवन्तरी नगर, नहर रोड गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर हाल गिरदावर तहसील कार्यालय तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर एवं समय 07:45 पी.एम. पर आरोपी रामप्रसाद पुत्र सुखलाल जाति बैरवा उम्र 55 वर्ष, निवासी गांव देवता, पुलिस थाना व तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मलारना डूंगर अतिरिक्त चार्ज बहतेड, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर एवं समय– 08:00 पी.एम. पर आरोपी मोहम्मद सईद खां पुत्र अब्दुल शाहिद खां जाति मुसलमान उम्र 47 वर्ष, निवासी मलारना डूंगर, पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल प्राईवेट ड्राईवर तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो की गिरफ्तारी की सूचना पृथ्ज्ञक से दी गई तथा फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 08:20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण विमल कुमार अग्रवाल, गिरदावर, रामप्रसाद पटवारी, मोहम्मद सईद प्राईवेट ड्राईवर मय जप्त/शील्डशुदा शीशीया, शर्ट/पेन्ट पैकिट व वजह सबूत रिश्वत राशि 17,000/–रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के बाद ट्रेप प्राईवेट वाहनो के तहसील कार्यालय मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिए रवाना होकर समय– 09:15 पी. एम. ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा हूॅं। जहां पर श्री जुगलाल कानि0 को उक्त माल सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। अभियुक्तगण को कार्यालय में जाप्ता की निगरानी में रखा गया। इसके पश्चात अभियुक्तगणों का सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से स्वास्थय परीक्षण करवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 04.07.2023 समय– 12:30 ए.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व से प्राप्त शुदा सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 28.06.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर श्री

मनोज कुमार कानि. से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव तथा चार डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय– 07:00 ए.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 03.07.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर श्री मनोज कुमार कानि. से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की एक पेन ड्राईव तथा चार डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय– 09:15 ए.एम.– पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 03.07.2023 को आरोपी मोहम्मद सईद द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की विडियो रिकार्डिंग श्री हम्मीर सिंह कानि0 से उसके मोबाईल से रिकार्ड करवायी थी को हम्मीर सिंह कानि0 से एक पेन ड्राईव तथा चार डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "C" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा पेन ड्राईव कुल तीन व डीवीडीया कुल 09 मार्क क्रमशः "A", "B", "C" को श्री जुगलाल कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। इसके पश्चात समय 10:15 ए.एम.पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 49 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्तगण विमल कुमार अग्रवाल, गिरदावर, तहसील कार्यालय मलारना डूंगर, रामप्रसाद पटवारी पटवार हल्का मलारना डूंगर, अतिरिक्त चार्ज बहतेड, तहसील मलारना डूंगर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी व परिवादी के पार्टनर रईस बेग द्वारा वर्ष 2023 में खरीदी गई नेशनल हाइवे 01 पर गांव बहतेड के पास कानजी पुत्र गंगासहाय कोली की खसरा नम्बर 3621/3615 रकबा 0.1043 किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ गैर.मु. आबादी कन्वर्जनशुदा जमीन का सीमाज्ञान करने व नामान्तरण खोलने की एवज में विमल कुमार अग्रवाल गिरदावर व रामप्रसाद पटवारी द्वारा दस–दस हजार रूपये की मांग करना व तहसीलदार के ड्राईवर मोहम्मद सईद द्वारा तहसीलदार घसीडयाराम के लिये बीस हजार रूपये की मांग की। इस पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 28.06.23 को परिवादी इरशाद से विमल कुमार अग्रवाल गिरदावर द्वारा दो हजार रूपये प्राप्त करना तथा शेष राशि तीन हजार रूपये की और मांग करना तथा रामप्रसाद पटवारी द्वारा परिवादी से तीन हजार रूपये प्राप्त करना तथा दो हजार रूपये की और मांग करना तथा तहसीलदार के ड्राईवर द्वारा बीस हजार रूपये की मांग करना तथा कम की कहने पर दस हजार रूपये लेने पर सहमत होना पाया जाने पर दिनांक 03.07.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही विमलकुमार अग्रवाल गिरदावर को 3,000/– रूपये रिश्वती राशि व रामप्रसाद पटवारी को 2,000/– रूपये रिश्वती राशि लेते हुये भू–अभिलेख कक्ष तहसील मलारना डूंगर में पकडा तथा तहसीलदार के ड्राईवर मोहम्मद सईद को 2000/– रूपये रिश्वती राशि स्वंय के लिये एवं 10,000/– रूपये तहसीलदार के नाम से लेते हुये को तहसील कार्यालय मलारना डूंगर में तहसीलदार के चैम्बर में तहसीलदार की उपस्थिति में रंगे हाथ पकडा। जिनसे रिश्वत राशि बरामद

की गई। अभियुक्तगण विमल कुमार अग्रवाल, गिरदावर, रामप्रसाद पटवारी, मोहम्मद सईद प्राईवेट ड्राईवर को पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.06.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान एक अन्य नायब तहसीलदार व अन्य पटवारी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 28.06.2023 को परिवादी इरशाद व घसीडयाराम तहसीलदार की हुई वार्ता एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी द्वारा तहसीलदार के ड्राईवर मोहम्मद सईद को तहसीलदार कक्ष में तहसीलदार के सामने तहसीलदार के लिये रिश्वती राशि दस हजार रूपये देना तथा तहसीलदार के समक्ष मोहम्मद सईद द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने से तहसीलदार घसीडयाराम की भूमिका संदिग्ध है जिसके बारे में दौराने अनुसंधान जांच किया जाना उचित होगा। अतः अभियुक्त 1. विमल कुमार अग्रवाल पुत्र मन्नू लाल अग्रवाल जाति महाजन उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 33, धनवन्तरी नगर, नहर रोड गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर हाल गिरदावर तहसील कार्यालय तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर 2. रामप्रसाद पुत्र सुखलाल जाति बैरवा उम्र 55 वर्ष, निवासी गांव देवता, पुलिस थाना व तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मलारना डूंगर अतिरिक्त चार्ज बहतेड, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर 3. मोहम्मद सईद खां पुत्र अब्दुल शाहिद खां जाति मुसलमान उम्र 47 वर्ष, निवासी मलारना डूंगर, पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल प्राईवेट ड्राईवर तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाएगी।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. विमल कुमार अग्रवाल पुत्र मन्नू लाल, गिरदावर, तहसील कार्यालय तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर 2. रामप्रसाद पुत्र सुखलाल पटवारी पटवार हल्का मलारना डूंगर अतिरिक्त चार्ज बहतेड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर 3. मोहम्मद सईद खां पुत्र अब्दुल शाहिद खां, प्राईवेट ड्राईवर तहसीलदार, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 173/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2197-200 दिनांक 4.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।